5.5.22 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1 के वकील उपस्थित।

विप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 12-4-22 वास्ते खारिज करने मूल प्रार्थनापत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील विप्रार्थी सं. 1 की बहस है कि प्रार्थी ने ग्राम रामदेवपुरा तहसील कल्याणपुर के खसरा नम्बर 327/180 रकबा 43-00 बीघा भूमि की नेखमकी के लिए आवेदन किया है, किंतु तहसीलदार पचपदरा ~~के~~ आदेश दिनांक 8-12-10, जिसके जरिये उक्त खसरा संख्या 327/180, मूल खसरा नम्बर 180 से भिन्न होकर सृजित हुआ था, श्रीमान अपर कलक्टर बाड़मेर द्वारा अपील सं. 109/12 भूराराम v/s गोकलाराम में पारित आदेश दिनांक 7.9.17 के जरिये खसरा सं. 327/180 स्वत: ही ~~मू~~ मूल खसरा सं. 180 में समाहित होकर अपृथक हो चुका है। प्रार्थी ने उक्त तथ्य से अदालत को अंधेरे में रखकर गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन [illegible] किया है जो मय खर्चा खारिज [करने योग्य] [illegible]।

इसके विपरीत [illegible] की बहस है कि विप्रार्थी सं. 1 ग[illegible] तथ्यों का हवाला देकर प्रार्थी का विधिसम्मत प्रस्तुत आवेदन निरस्त करवाना चाहता

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:29:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	है। वास्तव में किसी अदालत द्वारा मूल खसरा नम्बर 180 का निरस्त हुआ ही नहीं, राजस्व रिकार्ड में आज भी खसरा नम्बर 327/180 पृथक रूप से मौजूद है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। यदि तहसीलदार पचपदरा द्वारा किया गया विभाजन निरस्त होता, तो उसका राजस्व रिकार्ड में भी अमल दरामद हो चुका होता। अतः विप्रार्थी सं. 1 का उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त कर विवादित भूमि की मेढ़बन्दी के आदेश फरमाये जावे।
	हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं माननीय अदालत द्वारा पारित अपीलीय आदेश का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 327/180 की मेढ़बन्दी हेतु आवेदन किया है, वह खसरा माननीय अपर कलक्टर बाड़मेर के अपीलीय आदेश के जरिये अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोकर मूल खसरा नम्बर 180 में समाहित हो चुका है। उक्त अपीलीय आदेश की राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने अथवा नहीं होने से मूल खसरा नम्बर 180 में खसरा नम्बर 327/180 के विलीनीकरण पर कोई विपरीत प्रभाव

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh S
Date: 2022.09.17 16:29:43 IS
Reason: SelfAttested

नहीं पड़ता है और मूल खसरा नम्बर 180 के सम्बन्ध में तहसीलदार पचपदरा के विभाजन आदेश के निरस्त होने एवं खसरा नम्बर 327/180 के अस्तित्वहीन होने से उनकी सीमाओं का पैमाइश के जरिये निर्धारण का कोई औचित्य, अदालत की दृष्टि में, प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तथ्यहीन एवं औचित्य विहीन होने से खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:29:43 IST
Reason: SelfAttested